कार्यालय परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना,
दि इन्स्टीटयूशन ऑफ इन्जिनियर्स बिल्डिगं, (Opposite ISBT), देहरादून।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यकम के अन्तर्गत सहयोगी संस्थाओं के चयन हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Intrest)

समस्त जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड, के माध्यम से संचालित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु सहयोगी संस्थाओं का चयन किया जाना है। जिस हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु (Expression of Intrest) की विस्तृत सूचना परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाईटः– http://Swajal.uk. Gov.in पर उपलब्ध है।

अतः इच्छुक सहयोगी संस्थायें सम्बन्धित जिला परियोजना प्रबन्धन इकाईयों से सम्पर्क कर, निर्धारित पात्रता/शर्तो तथा जनपदीय इकाईयों के माध्यम से उत्तराखण्ड की विभिन्न ग्राम पंचायतों में किये जाने वाले कार्य से सम्बन्धी जानकारी/विवरण प्राप्त कर विलम्बतम् दिनांक 23 फरवरी, 2015 तक जनपदीय इकाईयों में निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन जमा कर सकते है।

निदेशक

जिला परियोजना प्रबन्धन इकाईयां

1.	परियोजना प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0 स्वजल परियोजना केदारालय बजेट दोराहा, जी0आई0सी0 रोड पिथौरागढ, उत्तराखण्ड फोन 05964–264107 पिन कोड :–262501	2.	परियोजना प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0 स्वजल परियोजना लोअर माल रोड खत्याडी), अल्मोडा उत्तराखण्ड फोन 05962–232523 पिन कोड :–263601
3.	परियोजना प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0 स्वजल परियोजना जी0आई0सी0 रोड कनल गॉव, चम्पावत उत्तराखण्ड फोन 05965–211044 पिन कोड :–262523	4.	परियोजना प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0 स्वजल परियोजना, पाँथरी भवन, जिला चिकित्सालय गोपेश्वर चमोली, उत्तराखण्ड फोन 01372–252708 पिन कोड :–246401
5.	परियोजना प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0 स्वजल परियोजना, पी0–4 सेक्टर–3 निकट केंद्रीय विद्यालय,नई टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड फोन 01376–233948 पिन कोड :–249001	6.	परियोजना प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0 स्वजल परियोजना कठायतबाड़ा खेतवाल भवन ब्लाक रोड बागेश्वर उत्तराखण्ड फोन 05963–220248 पिन कोड :– 263642
7.	परियोजना प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0 स्वजल,परियोजना मकान न0–13 14 ,मॉडल कलोनी, निकट गोपी नाथ मन्दिर, स्टेशन रोड ,रूद्रपुर जनपद–उधम सिह नगर, उत्तराखण्ड फोन 05344–245258 पिन कोड :–263153	8.	परियोजना प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0 स्वजल परियोजना द्वितीय तल अमन होटल विश्वनाथ मार्ग भैरवचौक, उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड फोन 01374–222468 पिन कोड :–249193
9.	परियोजना प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0 स्वजल परियोजना बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग श्री गुरू राम राय स्कूल के सामने हिमालयन दर्शन होटल तिलणी जनपद रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड फोन 01364–233492, पिन कोड :– 246171	10.	परियोजना प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0 स्वजल परियोजना सी0–6,शारदा नगर, ज्वालापुर हरिद्धार, उत्तराखण्ड फोन 01334–249407 पिन कोड :–249401
11.	परियोजना प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0 स्वजल परियोजना ओमविला. खुटानी. भीमताल,– नैनीताल, उत्तराखण्ड फोन 09542–247272 पिन कोड :– 263001	12.	परियोजना प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0 स्वजल परियोजना 509, आदर्श नगर,धर्मपुर देहरादून उत्तराखण्ड फोन 0135–2669925
13.	परियोजना प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0 स्वजल परियोजना डेविट धार अपर चोपड़ा कोटद्वार रोड, पौड़ी गढवाल उत्तराखण्ड, फोन 01368– 222332 पिन कोड :– 246174		

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
परियोजना प्रबन्धन इकाई,
उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना,
(पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड)
नियोजन एवं क्रियान्वयन चरण चतुर्पक्षीय अनुबन्ध

अनुबन्ध संख्या : .....
दिनांक : .....

(क) प्रस्तावना

1. अनुबन्ध के पक्षकार :–

(1) सहयोगी संस्था ,..... जिसे इसके आगे **'संस्था'** कहा जायेगा, और
(2) उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना (परियोजना प्रवन्धन इकाई) जिसे इसके आगे **'पी0एम0यू0'** कहा जायेगा एवं (3) सम्बन्धित ग्राम पंचायत जिसको जी0पी0 कहा जायेगा, (4) ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति जिसको आगे वी0डब्लू0एस0सी0 कहा जायेगा। अनुबन्ध में उक्तानुसार चार पक्षकार होगें।

2. कार्यक्षेत्र :–

इस अनुबन्ध के अंतर्गत सभी पक्षकार नियोजन एवं क्रियान्वयन चरण की वर्णित गतिविधियों एवं भुगतान शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हैं। उक्त के अनुसार कार्य करने हेतु सभी पक्ष बाध्य होगें।

3. अनुबन्ध की अवधि तथा प्रभावी तिथि :–

संस्था प्रभावी तिथि से अनुबन्ध के अधीन समस्त क्रियाकलाप 09 माह (नियोजन–3 माह व क्रियान्वयन 6 माह) की अवधि के भीतर पूर्ण करेगी । अनुबन्ध की प्रभावी तिथि .....है।

(ख) ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के निवेश और उत्तरदायित्व

4. योजना के नियोजन एवं क्रियान्वयन चरण और सामुदायिक विकास क्रियाकलापों का प्रबन्धन :–

निर्माण कार्य एवं सामुदायिक विकास क्रियाकलाप के क्रियान्वयन हेतु सहयोगी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन अनुमोदित विस्तृत आंकलन रिपोर्ट (एस0एल0डब्ल्यू0एम0) के अनुसार किया जायगा। सामुदायिक विकास गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, स्वच्छता सुविधा हेतु सृजित संरचनाओं के अन्तर्गत समुदाय की मांग अनुसार समुदाय के माध्यम से कार्य शत्–प्रतिशत् पूर्ण करेगी जिससे कि ग्राम पंचायत खुले में शौच मुक्त होते हुए, निर्मल व स्वच्छ ग्राम पंचायत की परिधि में स्थान पा सके।

5. निवेश एवं प्रगति की मॉनीटरिंग :–

ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति (संस्था के साथ) कार्य की प्रगति मॉनीटरिंग करने और पीएमयू को सही रिपोर्टें भेजते रहने के लिए उत्तरदायी होगी। संस्था/पीएमयू/डीपीएमयू के स्टाफ के भ्रमणों का लिखित विवरण रखने के लिए ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति एक आगंतुक रजिस्टर का रखरखाव करेगी। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर समिति पीएमयू/डीपीएमयू को उससे अवगत कराएगी।

6. ग्राम पंचायत को सहयोगी संस्था का समर्थन :–

(क) सहयोगी संस्था का दायित्व होगा कि वह ग्राम पंचायत को नियोजन चरण के दौरान समस्त परिवारों को स्वच्छता की महत्ता व स्वच्छता सुविधा हेतु सृजित संरचनाओं से सम्बन्धित गतिविधियों का विस्तृत सर्वेक्षण कर प्राकलन तैयार करेगी व प्रस्तावित गतिविधियों को ग्राम पंचायत की आम सहमति बैठक (Agree to Do meeting) में अनुमोदन करायेगी।

(ख) सहयोगी संस्था द्वारा स्वच्छता सुविधा हेतु सृजित की जाने वाली संरचनाओं की मांग हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कार्य किया जायेगा। तद्नुसार उसका प्राकलन तैयार कर भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के दिशा– निर्देशों के अनुरूप कार्यों का ससमय एवं सफल क्रियान्वयन करेगी।

(ग) ग्राम पंचायत की मांग के अनुसार प्रस्तावित गतिविधियों/निर्माण कार्यो हेतु तैयार किया गया प्राकलन के अनुसार क्रियान्वयन चरण के दौरान निर्माण कार्य और सामुदायिक विकास क्रियाकलापों के सम्यक् निष्पादन के लिए संस्था ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के साथ उत्तरदायी होगी।

(घ) ग्राम पंचायत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाये रखने हेतु आवश्यक गतिविधियां जैसे स्कूल के माध्यम से स्वच्छता रैलियों का आयोजन, बच्चों में स्वच्छता सफाई के प्रति जागरूकता लाने हेतु वाद–विवाद प्रतियोगितायें,

स्वच्छता से सम्बन्धित मुद्दों पर स्वास्थ्य, शिक्षा शिविरों का आयोजन, स्वस्थ घर सर्वेक्षण, सफाई अभियान, समूह बैठकें, दीवार लेखन, सामुदायिक बैठकें आयोजित करना, सामुदायिक प्रशिक्षण आदि।

(ड.) ग्राम पंचायत में अवस्थित समस्त पेयजल स्रोतों का फील्ड टैस्ट किट के माध्यम से परीक्षण करना व परीक्षण रिपोर्ट डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध कराना।

(च) ग्राम पंचायत को खाता संचालन व निर्माण कार्य के दौरान व्यय हुयी धनराशि का विवरण अभिलेखित करने में आवश्यक सहयोग करना।

(छ) ग्राम पंचायत स्तर पर बसावट स्तरीय '**स्वजल स्वच्छता गौरव पुरस्कार**' की जानकारी देना, उनको प्रेरित करना तथा पात्रता की शर्ते पूर्ण करने हेतु सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना।

7. निर्माण गुणवत्ता नियंत्रण :–

भारत सरकार/राज्य सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य पूर्ण करेंगी।

(ग) पीएमयू के निवेश और उत्तरदायित्व

8. पीएमयू :–

(क) अनुबन्ध के बिन्दु 'च' में निर्धारित शर्तों के पूरे होने की स्थिति में सभी भुगतान समय से करेगी।

(ख) सहयोगी संस्था के साथ सम्पर्क करने के लिए एक पोर्टफोलियो मैनेजर की नियुक्ति करने के लिए उत्तरदायी है।

(ग) समुदाय को प्रशिक्षित करने के लिए संस्था के स्टाफ को प्रशिक्षण देगी।

(घ) अनुबंध से संबंधित अभिलेखों का स्वतंत्र आडिट करने हेतु ऑडीटर की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी होगी।

(घ) लागत योगदान

9. बैंक खाते का संचालन :–

(अ) सहयोगी संस्था उक्त कार्यक्रमों को सम्पादित करने हेतु डी0पी0एम0यू0 स्तर से प्राप्त हुई धनराशि को रखने हेतु ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के नाम से पृथक बैंक खाता खुलवाएगी।

(ब) सहयोगी संस्था को भुगतान अनुबन्ध में वर्णित सारणी के अनुसार तीन किस्तों में किया जायेगा।

10. संस्था को देय धनराशि :–

इस अनुबन्ध के अन्तर्गत सहयोगी संस्था को अनुबन्धानुसार समस्त गतिविधियों के शत्–प्रतिशत उपलब्धि होने पर कुल ₹ 18000 (₹ अठारह हजार मात्र) प्रति ग्राम पंचायत की दर से देय होगा, जिसे तीन किश्तों में अवमुक्त किया जायेगा, जिसको अवमुक्त करने हेतु शर्तों का विवरण निम्नानुसार है :–

(ड़) भुगतान की सारणी

11. भुगतान की सारणी नीचे दी हुई है :–

भुगतान	जब या जिसके लगभग भुगतान करना है
प्रथम किस्त 30%	प्रभावी तिथि के 3 माह के अन्तर्गत
द्वितीय किस्त 50%	प्रभावी तिथि के 7 माह के अन्तर्गत
तृतीय किस्त 20%	अनुबन्ध के 9 माह के अन्तर्गत
योग	

(च) भुगतान :–

12. प्रथम किस्त की शर्तें :–

भुगतान # 1 निम्न शर्तों के पूर्ण होने पर किया जायगा :–

(I) निर्धारित प्रारूप पर भुगतान की औपचारिक मांग पीएमयू को प्राप्त हो गयी हो।

(II) निर्धारित स्टाफ नियुक्त कर दिया गया हो और इसकी सूचना डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दी हो।

(III) संस्था द्वारा यदि ग्राम पंचायत में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति गठित नहीं है, तो गठित कर दी गयी हो और यदि पुर्नगठन की आवश्यकता है, तो उसे पुर्नगठित करते हुये उसकी सूचना डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दी गयी हो।

(IV) सामाजिक अंकेक्षण समिति (Social Audit Committee) को मानकानुसार गठित कर सम्बन्धित प्रस्ताव डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दिया गया हो।

(V) ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष द्वारा पृथक से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाता खोल लिया गया हों।

(VI) प्रथम स्वस्थ घर सर्वेक्षण सम्पन्न कर दिया गया हो एवं ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति सदस्यों हेतु निम्न प्रशिक्षण आयोजित किये जा चुके हों :–
(i) कार्य एवं उत्तरदायित्व–(2 दिवसीय) (ii) स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (2 दिवसीय)

(VII) संस्था द्वारा आंकलन (डी0पी0आर0) तैयार करने से पूर्व ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबन्धन में प्रस्तावित गतिविधियों के विकल्पों पर चर्चा आम सहमति बैठक में की गयी हों व अन्तिम विकल्पों का चयन कर दिया गया हों।

(VIII) संस्था द्वारा भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की मार्गनिर्देशिका के अनुसार ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबन्धन के अन्तर्गत डी0पी0आर0 तैयार की गयी हों व जो डी0पी0एम0यू0 को मान्य हों।

13. द्वितीय किस्त भुगतान की शर्तें :–

(I) निर्धारित प्रारूप पर भुगतान की औपचारिक मांग पीएमयू को प्राप्त हो गयी हो,

(II) ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबन्धन की प्रस्तावित गतिविधियों के सापेक्ष 25% कार्य पूर्ण व न्यूनतम 50% गतिविधियां गतिमान हों, की सूची/विस्तृत विवरण उपलब्ध करा दी गयी हों।

(III) निर्धारित प्रारूप पर मासिक प्रगति आख्या नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा रही हों।

(IV) पूर्ण की गयी संरचनाओं एवं सामुदायिक गतिविधियों की फोटोग्राफ उपलब्ध करा दी गयी हों।

(V) विद्यालयों में स्वच्छता जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रमों का समय–समय पर आयोजन किया जा चुका हो व पेयजल गुणवत्ता हेतु ग्राम पंचायत को जागरूक किया जा चुका हों।

14. तृतीय किस्त भुगतान की शर्तें :–

(I) निर्धारित प्रारूप पर भुगतान की औपचारिक मांग पीएमयू को प्राप्त हो गयी हो,

(II) ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबन्धन की प्रस्तावित गतिविधियों के सापेक्ष 100% कार्य पूर्ण कर दिये गये हों, की सूची/विस्तृत विवरण (निर्धारित प्रारूप) पर वित्तीय एवं भौतिक विवरण सहित पी0एम0यू0/डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दी गयी हों।

(III) स्वच्छता सुविधा हेतु सृजित संरचनाओं की आई0पी0सी0आर0 हेतु डी0पी0एम0यू0 के साथ संस्था का प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

(IV) निर्धारित प्रारूप पर मासिक प्रगति आख्या नियमित रूप से उपलब्ध कराई गयी हों।

(V) पूर्ण की गयी संरचनाओं एवं सामुदायिक गतिविधियों की फोटोग्राफ उपलब्ध करा दी गयी हों।

(VI) ग्राम पंचायत में संस्था द्वारा स्वच्छता संबंधी गतिविधियों के प्रभाव का आंकलन/मूल्यांकन आख्या डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दी गयी हों।

(VII) ग्राम पंचायत भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार खुले में शौच मुक्त तथा निर्मल ग्राम पुरस्कार की पात्रता की शर्तों को पूर्ण करने हेतु पुरस्कार के लिए अर्ह हों।

(VIII) वी0डब्लू0एस0सी0 द्वारा स्वच्छता सुविधाओं हेतु सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु अपनी नियमावली तैयार कर ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हो।

15. ग्राम पंचायत के निवेश तथा उत्तरदायित्व

बैंक खाते का संचालनः–

1. ग्राम पंचायत, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई से ग्राम निधि में धनरा ि प्राप्त करेगी तथा प्राप्त की गई धनरा ि का प्रबंधन स्वच्छता सुविधा हेतु सृजित संरचनाओं के निर्माण, स्वच्छता कार्यों के लिए करेगी। ग्राम निधि में प्राप्त रा ि को वह चेक द्वारा 15 दिनों के भीतर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के पूंजी लागत रा ि सम्बन्धित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर देगी। ग्राम पंचायत एवं ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के लिए अलग–अलग रजिस्टर का रखरखाव करेगी।
2. ग्राम निधि खाते का संचालन ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में शासन द्वारा मनोनित कर्मचारी ही प्रतिनिधि होगा ।
3. स्वच्छ भारत मिशन के अर्न्तगत स्वच्छता सुविधाओं के लिए प्राप्त धनराशि के खाते का रखरखाव ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन की मार्गदर्शिका में दिए प्रारूप के अनुसार करेगी।
4. ग्राम पंचायत ग्राम निधि के लेखा का परीक्षण सुनिश्चित करेगी।

16. ग्राम पंचायत को भुगतानः–

1. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन से संबंधित निर्माण जिसमें प्रबंधन गतिविधियां भी सम्मिलित होंगी, की धनराशि का भुगतान निम्नवत विवरण के अनुसार 3 किस्तों में किया जाएगा।

17. ग्राम पंचायत को भुगतान निम्नलिखित किस्तों में किया जाएगाः–

भुगतान	कुल ग्राम पंचायत निर्माण भुगतान का प्रतिशत
ग्राम पंचायत निर्माण भुगतान संख्या 1	40 प्रतिशत (SLWM के कार्यों की डी0पी0आर0 की लागत का)
ग्राम पंचायत निर्माण भुगतान संख्या 2	40 प्रतिशत (प्रथम किश्त का न्यूनतम 80% काम पूर्ण करने पर)
ग्राम पंचायत निर्माण भुगतान संख्या 3	20 प्रतिशत/शेष (SLWM के समस्त कार्य पूर्ण होने व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पी0एम0यू0/डी0पी0एम0यू0 में प्राप्त होने पर)
योग	**100 प्रतिशत**

18. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को ग्राम पंचायत का सहयोग :–

1. ग्राम पंचायत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सुविधा तथा समन्वय स्थापित करेगी।
2. ग्राम पंचायत जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई को समय–समय उसकी आव यकता के अनुसार सूचनाएं उपलब्ध कराएगी।
3. ग्राम पंचायत अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर सभी बसावटों में स्वच्छता सुविधाओं द्वारा आच्छादित किए जाने हेतु (जैसे शौचालयों, नालियों, कम्पोस्ट गड्डा, कचरा गड्डा, बायोगैस संयंत्र तथा सोख्ता गड्डा या अन्य, समुदाय की मांगानुसार) का निर्माण करने में सहयोग करेगी।
4. ग्राम पंचायत अनुबन्ध के पालन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या से जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई को अवगत कराएगा।

(छ) ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के लेखा का संचालन तथा रखरखाव :–

स्वच्छ भारत मिशन को संचालित करने के लिए ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति पृथक रूप से एक खाता खेालेगी। खाते का नाम **ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति.....एसबीएम (ग्रामीण)** होगा। खाते का संचालन ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा।

(ज) विवाद/मध्यस्थ निर्णय :–

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, संस्था और पीएमयू के बीच में किसी विवाद के उत्पन्न होने पर वह मामला सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनन्य मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जायगा, जो स्वयं मध्यस्थता कर सकते हैं अथवा किसी को नामित कर सकते हैं एवं उनका अधिनिर्णय सभी पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा। पक्षकारों के बीच सभी विवाद देहरादून क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहेंगे।

(झ) हस्ताक्षर :

अनुबंध :

नियोजन व क्रियान्वयन चरण अनुबंध एक प्रति में तैयार कराया गया है जिस पर सभी हस्ताक्षरियों ने हस्ताक्षर किये हैं। इसकी मूल प्रति पीएमयू के पास रहेगी जबकि पीएमयू द्वारा प्रमाणित उसकी एक–एक फोटोप्रति सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराई जायेगी।